भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

नामांतरण अपील वाद सं0-12/2017-18

श्री अनूप प्रसाद बनाम अंचल अधिकारी, गम्हरिया।

आदेश

31-05-18

यह अभिलेख श्री अनूप प्रसाद पिता लखेश्वर प्रसाद निवासी-महुलसाई, पो0-आदित्यपुर, थाना-चाईबासा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के अपील आवेदन पर अंचल अधिकारी, गम्हरिया के नामांतरण वाद सं0-770/2012-13 एवं नामांतरण वाद सं0-1173/14-15 में पारित आदेश के विरुद्ध खोला गया है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। निम्न न्यायालय से संबंधित अभिलेख का मांग किया गया और उत्तरवादी को सूचना दी गई।

अपीलकर्त्ता को सुना एवं उत्तरावादी अंचल अधिकारी से निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी, परंतु अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण वाद सं0-770/2012-13 एवं नामांतरण वाद सं0-1173/14-15 नहीं भेजा गया।

अपील वाद में संलग्न दस्तावेज के आधार पर अंचल अधिकारी, गम्हरिया को आदेश दिया जाता है कि वादी द्वारा समर्पित Deed of Rectification No.-821 dt.-20.02.13 के आधार पर सुनवाई कर आदेश पारित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी की गई कार्रवाई से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

अतः अंचल अधिकारी, गम्हरिया द्वारा नामांतरण वाद सं0- 770/2012-13 में दिनांक 07.01.2013 एवं नामांतरण वाद सं0-1173/14-15 में दिनांक 04.03.15 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

तद्नुसार अपील आवेदन निष्पादित।

लेखापित

31/05/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

31/05/18

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।